बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

02/05/2025
02/05/2025

सं0 :– 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0(मोहर्रिर)–08 / 2024...1763 पटना, दिनांक :–

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 1024–।।/बंदो दिनांक 11.11.2024 के द्वारा श्री धन्नजय कुमार, संविदा मोहर्रिर के विरूद्ध खेल विकास विभाग, पटना एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 11.11.2024 से 20.11.2024 तक राजगीर खेल परिषद्, नालंदा में एशियन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी (महिला), 2024 के अवसर पर दिनांक 05.11.2024 से इनकी प्रतिनियुक्ति की गयी थी, जहाँ से ये दिनांक 06.11.2024 से 09.11.2024 तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण कार्यो के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इनका संविदा नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये प्रायः अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, चेतावनी के उपरांत भी इनके कार्यशैली में सुधार नहीं है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय कार्यालय ज्ञापांक सख्या 14844 दिनांक 31.12.2024 के द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि इनकी प्रतिनियुक्ति दिनांक 06.11.2024 से 09.11.2024 तक में ये दिनांक 06.11.2024 को प्रतिबंधित अवकाश एवं दिनांक 09.11.2024 को आकस्मिक अवकाश सहित अवकाश आवेदन अपर समाहर्त्ता को समर्पित करते हुए दिनांक 05.11.2024 को ही ट्रेन से पत्नी, जो डेंगू पीड़ित थी, का इलाज कराने हेतु दिल्ली प्रस्थान किया गया था। इनके द्वारा चिकित्सा से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति साक्ष्य स्वरूप संलग्न की गयी है।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर इस कार्यालय के पत्रांक 746 दिनांक 13.02.2025 एवं स्मार पत्रांक 1342 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपना मंतव्य पत्रांक 388/गो0 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा दिया गया है, जिसमें अंकित है कि यद्यपि की ये प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित रहे हैं, परन्तु चिकित्सीय पुर्जा के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्हें अपनी पत्नी की चिकित्सा के क्रम में दिल्ली जाना पड़ा था। चूंकि ये संविदा पर नियोजित हैं, अतएव मानवीयता के आधार पर परिस्थितिजन्य गलती क्षमा करने पर विचार किया जा सकता है।

बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त के आधार पर इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है एवं चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति करने पर इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इनका मानदेय पुनः योगदान करने की तिथि से भुगतान किया जाएगा।

30/4/25

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0(मोहर्रिर)–08 / 2024..1963.. **पटना, दिनांक** :–02/05/2025

प्रतिलिपि :– श्री धन्नजय कुमार, संविदा मोहर्रिर, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0(मोहर्रिर)–08 / 2024..1963.. **पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा / 02/05/2025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0(मोहर्रिर)–08 / 2024..1963.. **पटना, दिनांक** :–02/05/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप